



राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 18.01.2018

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

After the existing clause (a) and before clause (b) of Rule 287, the following new sub-clause (1) shall be inserted as under:-

"287. (a)(1) : Once subsidy has been sanctioned as per Finance Department (Tax Division) Order No.F.12(28)FD/Tax/2010-125 dated 23.10.2017 and Finance Department (Tax Division) Order No. F.12 (105)FD/Tax/2014-Pt.II-126 dated 23.10.2017 (or as amended thereafter) under Rajasthan Investment Promotion Scheme-2010 and 2014, it is the responsibility of sanctioning authority to ensure that the amount is drawn by presentation of a bill in System Generated New Form No. GA 110A (For investment subsidy under RIPS-2010), GA 110B (For Employment Generation Subsidy under RIPS-2010), GA 110C (For Investment Subsidy under RIPS-2014), GA 110D (For Employment Generation Subsidy under RIPS-2014), as the case may be, at the treasury and that the payment is made to the applicant. System generated sanctions may also be associated with these bills."

आज्ञा से,

(उषस्मति त्रिपाठी)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त/ विभागाध्यक्ष ।
10. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इन संशोधनों बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को सम्यक् रूप से जागरूक (sensitize) कराना सुनिश्चित करावें ।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर इन संशोधनों बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से जागरूक (sensitize) कराना सुनिश्चित करावें ।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
13. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवावें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
17. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।

(GE&AR - 2/2018)

(हरीश लड्डा)

मुख्य लेखाधिकारी

www.rajteachers.com